माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों व विकलांगों की स्थिति का अध्ययन

दे.अ.वि.वि. इन्दौर की
पी–एच.डी.(शिक्षा) उपाधि की
आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत
शोध सार

निर्देशक

डॉ. एस.के. त्यागी
पूर्व आचार्य, संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष

शोधार्थी

मनीष कुमार हुरमाड़े

शिक्षा अध्ययनशाला (IASE)
(नैक द्वारा पुनः 'A+' ग्रेड प्राप्त)
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
(नैक द्वारा 'A+' ग्रेड प्राप्त)

जून, 2022

माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों व विकलांगों की स्थिति का अध्ययन

1.1.0 परिचय :–

किसी भी राष्ट्र या समाज का विकास उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के विकास पर ही निर्भर करता है। भारतीय समाज की संरचना में कई धर्म, जातियाँ, वर्ग तथा सम्प्रदाय आते हैं। अतः हमारी शिक्षा इन विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों तथा सम्प्रदायों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा प्रक्रिया में कई परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में देश की जनसंख्या में कुछ ऐसे समूह या वर्ग भी हैं, जिनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु सरकार भी प्रायः चिन्तित होकर विशेष प्रयास करती है, जैसे– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाएँ व विकलांग आदि। उक्त वर्गों को शिक्षा सुलभ कराने हेतु सरकार द्वारा हर स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं जैसे– छात्रवृत्ति प्रदान करना, शुल्क मुक्त प्रवेश, पाठ्यपुस्तकें, गणवेश व साइकिलें प्रदान करना, मध्यान्ह भोजन प्रदान करना, समावेशी शिक्षा ;प्दबसनेपअम मकनबंजपवदद्ध आदि। साथ–साथ सरकार समय–समय पर शिक्षा की नीतियों में सुधार व नई नीतियों के निर्माण के प्रयास भी करती है, जिसके प्रमाण हमें कोठारी आयोग (1964–66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) 1986 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सांवैधानिक प्रावधान भी हैं, जैसे–धारा 29(2), धारा 30(1), धारा 30(2), धारा 45 तथा धारा 46 में शिक्षा संस्था में प्रवेश, अल्पसंख्यकों, सरकारी सहायता, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा तथा राज्य के कमजोर वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास का वर्णन है, जिससे शिक्षा के प्रति सरकारी नीतियों का उल्लेख होता है।

उपर्युक्त सारे प्रयास विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु पर्याप्त हैं किन्तु शिक्षा की विषय–वस्तु में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि राष्ट्र का प्रत्येक वर्ग उससे जुड़ा हुआ महसूस करें, अपनत्व की भावना के साथ शिक्षा ग्रहण करें एवं अभिप्रेरित हो सकें। अर्थात् शिक्षा की विषय–वस्तु उक्त वर्गों की आवश्यकताओं व विशेषताओं से सम्बन्धित होनी चाहिए। प्रस्तुत शोध माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों व विकलांगों की स्थिति जानने के लिए नियोजित किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित व मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रकाशित म.प्र. की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की सामाजिक विज्ञान व हिन्दी भाषा(भाषा भारती) की पाठ्यपुस्तकों को शामिल किया जाएगा।

1.1.1 पाठ्यपुस्तक : अर्थ एवं परिभाषा :–

विद्यालय में विद्यार्थी, अध्यापक, पाठ्यचर्या, आदि शिक्षा के अभिन्न अंग होते हैं। पाठ्यचर्या के अन्तर्गत समस्त वांछित गतिविधियाँ आती हैं, जो विद्यालय के तत्वावधान में संचालित होती हैं। पाठ्यचर्या की पूर्ति के हेतु अध्ययन मण्डल/पाठ्यपुस्तक स्थायी समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यपुस्तकें अनुशंसित की जाती है, जिनसे अपेक्षा की जाती है, कि वे संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोगत्यात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेंगी।

विद्यार्थियों एवं शिक्षकों हेतु किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे पाठ्यपुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। भिन्न–भिन्न स्तर के लिये भिन्न पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हुआ है, पाठ्यपुस्तकें बच्चों की पाठ्यचर्या पर आधारित होती है। विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकें अधिगम स्रोत का कार्य करती है। पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को एक निश्चित तथा स्पष्ट उद्देश्य बताती है। उन्हें कक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम का ज्ञान देती है तथा उन्हें यह भी बताती है कि उन्होंने कितना कार्य समाप्त कर लिया है और कितना करना शेष है। पाठ्यपुस्तक के अर्थ को सुस्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों के कथनों को प्रस्तुत करना यहॉ पर समीचीन प्रतीत हो रहा है–

हेरोलिकर के अनुसार– ''पाठ्यपुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का सम्पूर्ण योग है।''

हाल–केवेस्ट के अनुसार– ''पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिये व्यवस्थित प्रजातीय चिन्तन का अभिलेख है।''

लैंज के अनुसार– ''यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रभावित पुस्तक होती है।''

डगलस के अनुसार– "अध्यापकों के बहुमत ने अन्तिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्यपुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ायेंगे की आधारशिला माना है।"

बैकन के अनुसार– "पाठ्यपुस्तक कक्षा प्रयोग के लिये विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है, यह शिक्षक युक्तियों से भी सुसज्जित होती है।"

रिस्क के अनुसार– "पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सम्पत्ति है, जिसका आज कक्षा–कक्ष में महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यपुस्तक की विभिन्न प्रकार से प्रभावशाली उपयोग किया जा सकता है। "

क्रो एवं क्रो के अनुसार– "पाठ्यपुस्तकों का सीखना और सिखाने की क्रियाओं में अन्य उपकरणों के साथ महत्वपूर्ण स्थान है।"

(अ) पाठ्यपुस्तकों का इतिहास –

पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पाठ्यपुस्तकों के विकास का इतिहास सोलहवीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम कमेनियस (1592–1970) ने भाषा–शिक्षण की पाठ्यपुस्तक लिखी थी। इसके बाद

पाठ्यपुस्तकों के महत्व को देखते हुए इसका प्रचलन बढ़ता गया तथा अनेक शिक्षाविदों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा पाठ्य पुस्तकें लिखी जाने लगी।

19वीं शताब्दी में फ्रोबेल, डीवी तथा महात्मा गांधी ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया तथा अनुभव केन्द्रित एवं क्रिया प्रधान शिक्षा पर बल दिया। परिणाम स्वरूप पाठ्यपुस्तकों के महत्व को कम आंका जाने लगा, किन्तु तथ्यों, सिद्धान्तों आदि के बोधगम्यता की दृष्टि से इनकी पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कुछ शिक्षाशास्त्रियों ने पुस्तक–विहीन शिक्षण के भी प्रयोग किये, किन्तु वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि पाठ्यपुस्तकों का अन्त नहीं हो सकता है, अतः अब सिद्ध हो चुका है कि पाठ्यपुस्तकों के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया व्यावहारिक नहीं है। शैक्षिक तकनीकी के विकास से पाठ्यपुस्तकों के लिखने के ढंग में परिवर्तन हुये हैं, कुछ विषयों में अभिक्रमित सामग्री के रूप में निर्मित पाठ्यपुस्तकों के द्वारा अनुदेशन प्रदाय किया जाने लगा है। इसके द्वारा छात्र कठिन प्रत्ययों को भी स्वाध्याय द्वारा ही बोधगम्य कर सकते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (N.C.E.R.T.) नई दिल्ली द्वारा भी इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार परम्परागत पाठ्यपुस्तकों के साथ–साथ इनके कई तरह के नवीन रूप भी प्रचलन में आए हैं।

(ब) पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व–

पाठ्यपुस्तक के महत्व को स्पष्ट करते हुये क्रानबैक ने कहा है, कि अमेरिका में आज के शैक्षिक चित्र का केन्द्र बिन्दु पाठ्यपुस्तक है। इसका विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अतीत में भी अधिक महत्व था तथा आज भी है, इसको जनसामान्य की लोकप्रियता प्राप्त होती है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक विद्यालय या कक्षा में छात्रों तथा शिक्षकों के लिये विशेष रूप से तैयार की जाती है, जो किसी एक विषय या सम्बन्धित विषय की पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतीकरण करती है। आज की शिक्षा पाठ्यपुस्तकों पर ही आधारित है।

पाठ्यपुस्तकें न हों तो गृहकार्य बालकों के लिए एक कठिन समस्या बन जायेगा। कुछ बालक कक्षा में पढ़ी हुई बातों को भूल जाते हैं, ऐसे बालकों को पाठ्य सामग्री को दोहराने की आवश्यकता है। पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यसामग्री शिक्षण विधि है इस विधि के द्वारा बालक अपनी–अपनी रुचि एवं गति के साथ पुस्तकों की सहायता से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अतः, डाल्टन तथा अन्य सभी व्यक्ति, शिक्षक द्वारा बालक को शिक्षित करने के लिये पाठ्यपुस्तकों की विशेष आवश्यकता बताते हैं। पाठ्यपुस्तकें ज्ञान के विकास के साथ–साथ बच्चों का मनोरंजन भी करती हैं। बच्चे जब अनेक आश्चर्यजनक बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उन्हें आनन्द की अनुभूति होती है। नाटक, कहानी व कविताओं की पुस्तकों से बच्चों का मनोरंजन होता है। पाठ्यपुस्तकें बच्चों के ज्ञान की परीक्षा लेने में भी अध्यापक की सहायता करती हैं।

अतः, अध्ययन एवं अध्यापन की प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पाठ्यपुस्तकें ही शिक्षक के स्तर को प्रतिबिम्बित तथा स्थापित करती है। पाठ्यपुस्तकों से जहाँ एक ओर शिक्षक

लाभान्वित होते हैं, वहीं दूसरी ओर बालकों के लिये भी पाठ्यपुस्तकों के अनेक लाभ हैं। नवीन शिक्षकों तथा छात्र–छात्राओं के लिये तो पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। अतः शिक्षक को गुणात्मक एवं प्रभावी बनाने में पाठ्यपुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है।

(स) अच्छी पाठ्यपुस्तकों के गुण–

विद्वानों ने अच्छी पाठ्यपुस्तक के निम्न गुण दिये हैं–

1. पाठ्य पुस्तक की भाषा व शैली बोधगम्य, सरल, सहज और आकर्षक होनी चाहिए।
2. पाठ्य पुस्तक संगठन एवं प्रस्तुतीकरण क्रमबद्ध व उचित होना।
3. पाठ्य पुस्तक में पर्याप्त चित्र होने चाहिए।
4. पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों की कक्षा तथा उम्र के अनुरूप होना चाहिए।
5. सा. विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
6. पाठ्य पुस्तकों की विषय सामग्री बालकों की रुचियों, मानसिक योग्यताओं तथा विकास की अवस्थाओं के अनुसार होना चाहिए।
7. पाठ्यपुस्तकों में वर्णित विचार, मौलिक, निष्पक्ष तथा स्पष्ट होने चाहिए। साथ ही पृष्ठ एवं आंकड़ें भी विश्वसनीय व वैध होने चाहिए।
8. पाठ्यपुस्तक में आधुनिकतम सूचनायें होनी चाहिए। साथ ही विषय का प्रतिपादन भी निश्चित, ठोस, सुसंगठित होना चाहिए।
9. पाठ्यपुस्तक शिक्षण में भी सहायक होनी चाहिए।
10. पाठ्यपुस्तकों का मुख पृष्ठ तथा आवरण अत्यन्त सुन्दर होना चाहिए, जिससे बालकों की पुस्तक के प्रति रुचि जागृत हो।
11. पाठ्य पुस्तकों का मूल्य उचित होना चाहिए।
12. पाठ्यपुस्तक प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए।
13. पाठ्यपुस्तकों की विषय सामग्री को पहले परिपूर्ण ढंग से सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित करनी चाहिए।
14. पाठ्यपुस्तकों में बालक तथा शिक्षकों के लिए निश्चित निर्देशों की व्यवस्था होनी चाहिये।
15. सहायक पुस्तकों की सूची होना चाहिए।
16. अभ्यासकार्य, गृहकार्य तथा परीक्षा के लिये सुझाव दिये होने चाहिए।
17. छपाई के लिये काली, गहरी और चकमदार स्याही का प्रयोग किया जाना चाहिए।
18. पाठ्यपुस्तक का कागज सफेद, मोटा और चिकना होना चाहिए।
19. छोटी कक्षाओं के लिये पुस्तक का आकार क्वार्टो (चार तह किया हुआ कागज) एवं उच्च कक्षाओं की पुस्तक का आकार क्राउन (20 इंच लम्बा और 15 इंच चौड़ा कागज) होना चाहिए।
20. पाठ्यपुस्तक की सामग्री इच्छित अधिगमकों के लिये उपयुक्त होनी चाहिए।

(द) पाठ्य पुस्तकों के प्रकार–

पाठ्यपुस्तकों को सामान्यतः तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

1. सामान्य पाठ्यपुस्तकें– ये पुस्तकें किसी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती है। इनमें किसी निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता है, तथा प्रकरणों को विषय सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोगिता की दृष्टि से विस्तार प्रदान किया जाता है। ये पुस्तकें विशेष रुचि वाले विद्वानों द्वारा लिखी जाती हैं। ये पुस्तकें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिये सहायक पुस्तकों का कार्य करती हैं। इनका प्रयोग उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं या उनसे ऊपर की कक्षाओं में किया जाता है।
2. पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यपुस्तकें– इस प्रकार की पाठ्यपुस्तकें किसी निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित कक्षा स्तर के लिये लिखी गई होती हैं। यद्यपि इन पुस्तकों का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है, किन्तु विद्यार्थियों के लिये ये बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि ये पाठ्यक्रम से सीधे जुड़ी हुई होती हैं। इन पाठ्पुस्तकों के निर्माण में शिक्षण उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों में इन्हीं पुस्तकों का सर्वाधिक प्रचलन होता है। इस प्रकार की पाठ्यपुस्तकें सभी कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है।
3. सन्दर्भ पुस्तकें– ये विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें होती हैं तथा इनमें विस्तृत ज्ञान का समावेश होता है। इनमें तथ्यों, प्रत्ययों, सूत्रों, घटनाओं आदि की व्याख्या गहनता से की जाती है। शिक्षक इनका प्रयोग सन्दर्भों के रूप में करता है, इसलिए इन्हें सन्दर्भ पुस्तकें कहा जाता है। उच्च कक्षाओं में शिक्षण में इन पुस्तकों का अध्ययन एवं प्रयोग उपयुक्त होता है।

1.1.2 जाति का अर्थ व परिभाषा :–

भारतीय जाति अपनी तरह की एक विचित्र और रोचक संस्था है। वास्तव में यह संस्था हिन्दू जीवन को दूसरों से इतना अलग कर देती है कि, सैंकड़ों भारतीय और विदेशी विद्वानों का ध्यान इस संस्था की ओर आकर्षित हुआ है। आज भारत वर्ष में लगभग 3000 जातियाँ और उपजातियाँ है। असंख्य विद्वानों ने इस जाति के विषय में विश्लेषण करने का प्रयास किया है। अंग्रेजी का 'Caste' शब्द पुर्तगाली शब्द 'Casta' से बना है, जिसका अर्थ प्रजाति, जन्म या भेद होता है।

सर हरबर्ट रिजले के अनुसार– "जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है, जिनका कि एक सामान्य नाम है जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव का देवता से एक सामान्य वंश, परम्परा या उत्पत्ति का दावा करते हैं, एक ही परम्परात्मक व्यवसाय को करने पर बल देते हैं और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं, जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य है।"

ब्लण्ट के अनुसार– "एक जाति एक अन्तनिर्हित समूह या अन्तर्विवाही समूह का संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम है, जिसकी सदस्यता वंशानुगत है, जो अपने सदस्यों पर सामाजिक सहवास के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाती है, एक सामान्य परम्परागत पेशे को करती है या एक सामान्य उत्पत्ति का दावा करती है, और सामान्यतया एक समरूप समुदाय को बनाने वाली समझी जाती है।"

केतकर के अनुसार– "जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएँ है– 1. जाति की सदस्यता उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो कि, उस जाति विशेष के सदस्यों से ही पैदा हुए है और इस प्रकार पैदा होने वाले सभी व्यक्ति जाति में आते हैं, 2. जिसके सदस्य एक अविच्छिन्न सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए गए हैं।"

बोगल के अनुसार– "एक समाज जाति प्रणाली से प्रभावित है। यदि वह समाज परस्पर विरोधी अनेक समूह में बँटा हुआ है, जो वंशानुगत रूप से विशेषीकृत है और संस्तकरण के आधार पर श्रेणीबद्ध है, सिद्धांततः यह प्रणाली नए सदस्यों को स्वीकार नहीं करती है और न ही रक्त–सम्मिश्रण तथा पेशों में परिवर्तन को ही।"

1.1.3 अनुसूचित जाति का अर्थ, परिभाषा एवं स्थिति :–

अनुसूचित जातियाँ भारतीय समाज की वे जातियाँ हैं, जिन्हें परंपरागत रूप से अस्पृश्य समझा जाता रहा है और अस्पृश्यता के आधार पर ये जातियाँ अनेक सामाजिक व राजनैतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित रही हैं। वर्तमान समय में हम जिन लोगों के लिए अनुसूचित जातियाँ शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें अस्पृश्य जातियाँ, अछूत, दलित या हरिजन शब्दों से संबोधित किया जाता है।

प्रमुख समाजशास्त्रियों द्वारा अनुसूचित जाति की व्याख्या निम्नानुसार की गई है–

प्रो. मजूमदार के अनुसार– "अस्पृश्य जातियाँ वे हैं, जो विभिन्न सामाजिक व राजनैतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित है, जिनमें से अधिकतर निर्योग्यताओं को परम्परा द्वारा निर्धारित करके सामाजिक रूप से उच्च जातियों द्वारा लागू किया गया है।"

प्रो. सत्यव्रत के अनुसार– ''अस्पृश्यता समाज की वह व्यवस्था है, जिसके कारण एक समाज दूसरे समाज को परम्परा के आधार पर छू नहीं सकता, अगर छूता है तो स्वयं अपवित्र हो जाता है और इस अपवित्रता से छूटने के लिए उसे किसी प्रकार का प्रायश्चित करना पड़ता है।''

प्रो. कैलाशनाथ शर्मा के अनुसार– ''अस्पृश्य जातियाँ वे हैं, जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करना पड़े।''

भारत का यह दुर्भाग्य है, कि इस देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा सदियों से न केवल अत्यन्त पिछड़ा अपितु समाज द्वारा उत्पीड़ित, लांछित व अवहेलना के बोझ से त्रासित रहा है, इस कारण ये लोग अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं से जूझते रहे हैं और अमानवीय जीवन जीते रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार का ध्यान इनकी ओर गया, फलस्वरूप संविधान द्वारा इन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। साथ ही, इन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएँ व संरक्षण प्रदान करने के लिए इनको एक अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। इसलिए इन्हें अनुसूचित जाति कहा गया।

संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों में अनुसूचित जातियों का विवरण दिया गया है। अतः इन वर्गों का शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने व इन्हें उचित सुविधाएँ व संरक्षण देने के लिए इन जातियों को एक अनुसूची में रखा

गया और समस्त सरकारी व शासकीय प्रयोजन के लिए इन्हें अनुसूचित जाति के नाम से संबोधित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 20,13,78,372 है।

1.1.4 अनुसूचित जनजाति का अर्थ, परिभाषा एवं स्थिति :–

जनजातियाँ भारतीय समाज व संस्कृति को निराली छवि प्रदान करती है। भारत में 532 जनजातियाँ निवास करती है। जनजातियों को वन्य जाति, आदिवासी, आदिम जाति, गिरिजन आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। धुरिये ने इन्हें पिछड़े हिन्दू भी कहा है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों में अनुसूचित जनजातियों का विवरण दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति ऐसे लोगों का समूह है, जो किसी निश्चित भूभाग (सामान्यतः जंगल या पहाड़) पर निवास करते हैं, जिनकी एक विशेष भाषा, धर्म, परम्परा व संस्कृति होती है तथा जो आज भी आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं।

अनुसूचित जनजाति की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं–

गिलिन एवं गिलिन के अनुसार– "स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं, जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो।"

मजूमदार के अनुसार– "एक जनजाति परिवारों अथवा परिवारों के समूहों का संग्रह है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं और एक निश्चित एवं उपयोगी परस्पर आदान–प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं।"

बेरियर एल्विन के अनुसार– "आदिवासी भारत वर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है।"

डॉ. रिवर्स के अनुसार– "जनजाति को ऐसे सरल प्रकार का सामाजिक समूह बताया गया है, जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हो तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिये सम्मिलित रूप से कार्य करते हो।"

इम्पीरियल गजेटियर के अनुसार– "एक जनजाति परिवारों का संकलन है, जिसका एक नाम होता है, जो एक बोली बोलती है, एक सामान्य भू–भाग पर अधिकार रखती है या अधिकार जताती है और जो प्रायः अन्तर्विवाह नहीं करती है।"

2011 की जनगणना के अनुसार अनुसार इनकी जनसंख्या 104,545,716 है। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ सहित) में सर्वाधिक है, जहां 188 लाख लोग अनुसूचित जनजातियों के है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में फैली हुई है और उनमें काफी विभिन्नता देखने को मिलती है। 2001 की जनगणना के अनुसार

अनुसूचित जनजातियों की अखिल भारतीय साक्षरता दर 47 प्रतिशत है जबकि साक्षरता का राष्ट्रीय औसत 64.8 प्रतिशत है।

नवसामाजिक व्यवस्था की संकल्पना के अंतर्गत सामाजिक वर्गों के मध्य समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इस सिद्धांत का महत्व अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए है। संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक कमियों को दूर करने के लिए सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था की गयी है तथा इन वर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

अनुच्छेद 46 के अनुसार– उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना तथा सामाजिक अन्याय और अन्य तरह के शोषण से उनकी सुरक्षा करना।

अनुच्छेद 29(2) के अनुसार– राज्य द्वारा चलाई जा रही या राज्य द्वारा दी गई निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पर किसी तरह के प्रतिबंध का निषेध।

अतः हम यह कह सकते हैं कि, अनुसूचित जनजाति समुदाय के चहुँमुखी विकास के लिये इस समुदाय के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना पहली प्राथमिकता है। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजाति के समुदाय में साक्षरता दर धीरे–धीरे बढ़ रही है। लेकिन फिर भी उस स्तर तक नहीं बढ़ पाई है, जिस स्तर की आवश्यकता है। शासन पूरा प्रयास कर रहा है कि शासकीय नीतियों और योजनाओं के साथ तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से भी इनके शिक्षा स्तर में सुधार हो। लेकिन सफलता अभी कोसों दूर है, क्योंकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति का विद्यार्थी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी की तुलना में अलग–थलग महसूस करता है, क्योंकि उसका रंग, रूप, बोल–चाल, भाषा, त्यौहार, रहन–सहन, पहनावा, खान–पान दूसरे वर्ग के विद्यार्थियों या व्यक्तियों से पूर्णतः अलग होता है। कई बार उसे अपमानित महसूस करना पड़ता है, और आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। सब बच्चों के साथ रहकर भी इस वर्ग का विद्यार्थी अपने आपको अकेला महसूस करने लगता है। साथ ही विद्यालयीन गतिविधियां भी उनके समाज, परिवार, संस्कृति के अनुसार नहीं होती है जिससे वह विद्यालयीन गतिविधि में भी बेमन से सहभागिता करता है, या सहभागिता करता ही नहीं। साथ ही हम देखते हैं कि विद्यालयीन शिक्षण में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के विशेष त्यौहार, संस्कृति, भाषा, बोली का समावेश नहीं हो पाता है। विद्यालयीन शिक्षण पाठ्यपुस्तकों के द्वारा ही होता है, पाठ्यपुस्तक में जो शिक्षण बिंदु होंगे उसे ही शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है। अतः इन वर्गों के लोग शिक्षा से पूरी तरह जुड़ नहीं पाते हैं।

1.1.5 अल्पसंख्यक अर्थ, परिभाषा एवं स्थिति :–

भारत एक विविधता वाला देश है, अति प्राचीनकाल से ही इस देश में विदेशी समुदाय आते रहे और बसते भी रहे हैं। जिनमें कुछ हिन्दू बन गये और कुछ ईसाई, मुसलमान, सिक्ख, जैनी कहलाये पर रहे सब भारतीय ही। जो इस प्रकार बिखर गये, अलग हो गये वे सम्पूर्ण भारतीय जनसंख्या के

दृष्टिकोण से बहुत अधिक न थे अर्थात् संख्या में कम या अल्प थे। इसलिये वे भारत के अल्पसंख्यक कहलाये। अल्पसंख्यक कोई बाहर के लोग नहीं है, वे हम में से ही कुछ है। अल्पसंख्यक का अर्थ निर्धारण आवश्यक है। अल्पसंख्यक समूह का अर्थ उस समूह से है जो अपनी जाति, भाषा, संस्कृति अथवा धर्म की दृष्टि से विशिष्ट है। अर्थात् यह समूह विशेष की ओर इंगित करता है। अल्पसंख्यक शब्द को निम्न परिभाषा के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है– 'किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का कम प्रतिनिधित्व होता है, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं।' सामान्यतः अल्पसंख्यक का तात्पर्य उस समूह से लिया जाता है जो धर्म, भाषा और जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न एवं संख्या में कम हो।

अल्पसंख्यक की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं–

अल्पसंख्यक की सुरक्षा एवं विभेदीकरण पर प्रतिबंध हेतु संयुक्त राष्ट्र की उपसमिति ने अल्पसंख्यक की निम्न परिभाषा दी है– "किसी जनसंख्या के केवल वे उपप्रधान सूमह जो उन जातीय, धार्मिक व भाषायी परम्पराओं एवं विशेषताओं को बनाये रखने में विश्वास करते है, जो उन्हें शेष जनसंख्या से भिन्न दर्शाते हों।"

प्रो. स्कीरमत होर्न के अनुसार– "जातीय सत्ता व आकार की विशेषताओं को एकत्रित करते हुए हम अल्पसंख्यक समूह को उस जातीय समूह के रूप में पहचान सकते है, जो किसी समाज की कुल जनसंख्या की आधी संख्या से भी कम हो, लेकिन एक ऐसी सहप्रणाली के रूप में विकसित हो जो समाज के आर्थिक, राजनैतिक संस्थाओं का केन्द्र भी हो।"

सर्वोच्च न्यायालय केरल ने शिक्षा विधेयक के संदर्भ में 1957 के अनुसार– "अल्पसंख्यक समूह उस समूह को माना जाता है जिसकी संख्या राज्य में 50 प्रतिशत से कम हो। किसी भी समूह को अल्पसंख्यक कहा जाए या नहीं यह निर्णय एक राज्य की संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में किया जाना चाहिए।"

चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार– "अल्पसंख्यक से अभिप्रायः एक ऐसे समूह से है, जो प्रजाति अथवा धर्म के सम्बन्ध में किसी देश अथवा क्षेत्र के अधिकतर लोगों से भिन्न है।"

कार्टर वी. गुड शिक्षा शब्दकोश के अनुसार ''अल्पसंख्यक वह समूह है जो जाति, धर्म एवं राष्ट्रीयता के संदर्भ में वर्गीकृत हुआ है एवं जिसकी सदस्यता दी हुई जनसंख्या की 50 प्रतिशत से कम है।"

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखने वाले अनेक प्रावधान हैं। सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के बारे में दिया है और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है।

साम्प्रदायिक सद्भाव हेतु सम्पूर्णानन्द समिति का गठन 1961 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा भावात्मक एकता स्थापित करने हेतु किया गया एवं सुझाव में– सामाजिक विषय के शिक्षण पर समिति ने विशेष बल दिया है, क्योंकि इसके माध्यम से बालकों (अल्पसंख्यक विद्यार्थियों) को हमारी भौगोलिक, ऐतिहासिक

एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही इस बात पर बल दिया गया कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की आवश्यकताओं की दृष्टि से पाठ्यक्रम का पुनर्गठन तथा राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिये नवीन पाठ्यपुस्तकों की रचना आवश्यक है।

मध्यप्रदेश शासन ने 30 अप्रैल 1982 को अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया एवं आयोग द्वारा वर्तमान में जिन समुदायों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा गया है, वे हैं– 1. मुस्लिम, 2. सिक्ख, 3 बौद्ध, 4. पारसी तथा 5. ईसाई। 1986 में मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा की विशेष प्रेरणा से नवगठित आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने इन वर्गों के शैक्षिक उत्थान के कार्य किये एवं सुझाव दिए कि मुस्लिम अल्पसंख्यक की शिक्षा में माध्यम (भाषा) की समस्या, उर्दू भाषा में पाठ्यपुस्तकों का अभाव, उर्दू भाषा के शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाये एवं आवश्यकतानुसार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जाये एवं उर्दू शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल में समय–समय पर की जाये। इसी प्रकार प्रदेश में पाठ्यपुस्तक निगम ने पहल कर कक्षा एक से कक्षा आठवी तक के लिए उर्दू की 38 से अधिक पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि–

"अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग तालिमी दौड़ में काफी पिछड़े एवं वंचित हैं, सामाजिक इंसाफ एवं समता का तकाजा है कि, ऐसे वर्गों की तालीम पर पूरा ध्यान दिया जाये। संविधान ने उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति की हिफाजत करने तथा अपनी शैक्षिक संस्थाएँ बनाने एवं उन्हें चलाने के जो अधिकार दिये गये हैं, वे भी इसमें शामिल हैं। साथ ही पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में और सभी विद्यालयीन क्रियाओं में वस्तुगत्ता रखी जावेगी तथा सामान्य केन्द्रिक शिक्षाक्रम (पाठ्यक्रम) के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों और आदर्शों के आधार पर एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जायेंगे।"

वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आधार पर देश में अल्पसंख्यक समुदाय की कुल जनसंख्या 172,245,158 है। भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखने तथा अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थाएं खोलने एवं चलाने के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 (ख) के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति की गई है।

अल्पसंख्यकों के प्रकार :– भारत में अल्पसंख्यकों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बाँटा गया है–

1. धार्मिक अल्पसंख्यक
2. भाषायी अल्पसंख्यक
3. जनजातीय अल्पसंख्यक

(क) धार्मिक अल्पसंख्यक

1. मुस्लिम अल्पसंख्यक– भारत के अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक जनसंख्या मुसलमानों की 13.81 करोड़ है। केन्द्र और राज्यों में सासंद, मंत्री और विधायक के रूप में, न्यायालयों के न्यायाधीश तथा भारतीय और

प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के अनेक पदों पर कई मुसलमान कार्य कर चुके हैं। अल्पसंख्यक भारत के सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) को सुशोभित कर चुके हैं और उनमें से एक भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाने जाते हैं।

2. ईसाई अल्पसंख्यक– 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों के बाद ईसाईयों का स्थान है। कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 2.30 तथा इनकी जनसंख्या 2.40 करोड़ है। अंग्रेजी शासनकाल में ईसाई लोगों का शासन रहा। भारत के अधिकांश ईसाई यहां के निवासी है और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण अपना धर्म परिर्वतन कर वे ईसाई बने हैं। ईसाइयों की संख्या केरल और दक्षिणी भारत के राज्यों में अधिक है। इनका कोई राजनीतिक दल नहीं है। ईसाईयों ने राजनीति की अपेक्षा अपने को सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में लगाया है। इनकी जन्मदर मुस्लिम, जैन व बौद्ध अल्पसंख्यकों से कम है। इनका नारी/स्त्री अनुपात अधिक है।
3. सिक्ख अल्पसंख्यक–2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सिक्खों की जनसंख्या 1.92 करोड़ अर्थात् कुल जनसंख्या का 1.84 प्रतिशत हैं तथा ये नगर एवं गाँवों दोनों में निवास करते हैं। इनकी प्रजनन दर मुसलमानों, हिन्दुओं, बौद्ध से कम है। सिक्ख धर्म में नारी अनुपात सबसे कम है। स्वतंत्रता के बाद सिक्खों ने पंजाबी सूबे की मांग की। अकाली दल ने आंदोलन प्रारंभ किया और कहा कि सिक्खों की भाषा एवं संस्कृति के आधार पर एक पृथक राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। सन् 1967 में पंजाब का विभाजन कर हरियाणा एवं पंजाब राज्य बनाये गए। इस नवगठित पंजाब में सिक्खों की जनसंख्या 61 प्रतिशत हो गई। सिक्खों को केन्द्रीय मंत्रीमंडल, संसद तथा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
4. बौद्ध अल्पसंख्यक– 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में बौद्धों की जनसंख्या 0.79 करोड़ है, अर्थात् कुल जनसंख्या का 0.80 प्रतिशत है। ये नगर एवं गाँवों दोनों में निवास करते हैं। इनकी जन्मदर मुसलमानों से कम है, बाकी अल्पसंख्यकों से अधिक है।
5. जैन अल्पसंख्यक– भारत में बौद्ध अल्पसंख्यक के बाद जैन धर्म अनुयाईयों का स्थान है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जैनों की जनसंख्या 0.42 करोड़ है अर्थात् कुल जनसंख्या का 0.40 प्रतिशत। जैन धर्म अधिकतर नगरीय पृष्ठभूमि वाला दिखाई देता है। जैनियों को व्यापार में काफी अग्रणी माना जाता है। इनकी प्रजनन दर सिक्ख समुदाय से कम एवं ईसाइयों से अधिक है। जैन समुदाय में स्त्री/नारी अनुपात भी कम पाया जाता है।

(ख) भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक

भारत में भाषायी अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों से भिन्न है, बंगाली बोलने वाले हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही पाये जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में भाषायी अल्पसख्यकों को संरक्षण दिया गया है। भारत में सर्वाधिक लोग हिन्दी भाषा का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ 189 भाषाएँ तथा 544

बोलियाँ प्रचलित है। संविधान उन्हें अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है।

संविधान के अनुच्छेद 350 में प्रावधान है, कि प्रत्येक राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। संसद में सदस्य अपनी मातृभाषा में विचार प्रकट कर सकते हैं। भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था है। भाषा के आधार पर ही आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब व हरियाणा आदि राज्यों का निर्माण किया गया है।

(ग) जनजातीय अल्पसंख्यक

भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएँ है। यहाँ अनेक धर्म, मत, सम्प्रदाय, प्रजाति, जाति एवं जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ की सम्पूर्ण जनसंख्या का 8.08 प्रतिशत भाग जनजातियों का है।

1.1.6 विकलांग अर्थ एवं परिभाषा :–

विकलांग शब्द से तात्पर्य, स्थायी शारीरिक दोषों से युक्त व्यक्तियों से हैं। विकलांग व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें कुछ शारीरिक दोष या कमियां पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तुलना में मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं, जिसके कारण उनकी उपलब्धियाँ अधूरी रह जाती है। अस्थिबाधित, अंधे, बहरे तथा वाणी दोषयुक्त व्यक्ति विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। विकलांग व्यक्तियों में शारीरिक दोष अवश्य होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वे मानसिक दृष्टि से भी अयोग्य हो, किन्तु शारीरिक अपंगता के कारण वे हीन भावना से ग्रस्त होते हैं।

प्रायः प्रत्येक विद्यालय में विकलांग विद्यार्थी पाये जाते हैं एवं इन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान किये जाते हैं। देखा गया है कि आम लागों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को उपहास, दया या हेय दृष्टि से देखा जाता है। यह इसलिये होता है कि, आम व्यक्तियों में विकलांग या विकलांग व्यक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। उन्हें यह भी नहीं पता कि यह विकलांग वर्ग हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। जो कि समय–समय पर समाज एवं राष्ट्र के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे संगीत के क्षेत्र में रवीन्द्र जैन, नृत्य के क्षेत्र में सुधा चन्द्रन आदि। अतः विकलांग वर्गों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए विद्यालयीन शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों के पाठों में भी इनसे संबंधित पाठों को रखना चाहिए।

क्रो एवं क्रो के अनुसार– ''वे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें सामान्य क्रियाओं को करने से रोकते हैं, अथवा सीमित करते हैं, उन्हें शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जाता है।''

(1) विकलांगता के प्रकार –

शारीरिक अक्षमता युक्त अथवा शारीरिक रूप से विकलांग बालक वे होते हैं जिनमें शारीरिक त्रुटि होती है और वह त्रुटि उनके काम–काज में किसी न किसी प्रकार की बाधा डालती है। यह त्रुटि अधिक हो सकती है और कम भी। शारीरिक रूप से विकलांग बालक कई प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित हैः अपंग बालक, लकवा ग्रस्त बालक, सम्पूर्ण और अर्ध्द–अन्ध बालक, वक्रीय–मेरूदण्ड, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, विकृत नितम्ब, द्विशाखी मेरूदण्डीय, माँसपेशीय डायस्ट्रॉफी, श्रवण सम्बन्धी दोष, वाणी दोष, नाजुक अथवा निर्बल बालक और लूले–लंगड़े हाथ कटे बालक।

(2) विकलांगों की शिक्षा एवं सुविधाएँ –

संविधान के अनुसार विकलांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार बनाया गया है, परन्तु केन्द्र सरकार भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय सरकार के विभिन्न विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ विचार विमर्श करके विकलांगों की भलाई के क्षेत्र में सभी नीतिगत उपाय करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में विकलांग बालकों की शिक्षा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा तथा शैक्षिक विषमताओं को हटाने के लिए विकलांग बालकों की शिक्षा की महत्ता को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये गये हैं :–

"शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिंदगी जिएं। यह विचार विद्यार्थियों में पाठशाला में उपयोग होने वाली पाठ्यपुस्तक के माध्यम से ही क्रियात्मक किया जा सकता है।"

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 1991 के अनुसार देश में 16.15 प्रतिशत देखने, बोलने, सुनने और लंगड़ेपन अथवा इन चार में से किसी एक शारीरिक अक्षमता से पीड़ित हैं। एक संगठन द्वारा सन् 1991 में एक और सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें 1 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में मानसिक विकास में दर के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। यह देश की कुल जनसंख्या का तीन प्रतिशत है।

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 नामक व्यापक कानून को फरवरी सन् 1996 में लागू किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय विकलांग पुनर्वास कार्यक्रम' योजना चलाई है जिसमें प्रत्येक जिले में जिला पुनर्वास केन्द्र खोले गये हैं। इसके आलावा 1974 से संचालित विकलांग बालकों के लिये समावेशित शिक्षा योजना का संचालन 27 राज्यों के लगभग 20000 विद्यालयों में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत (1997–2000) में एक अरब रूपये व्यय किये गये। सन् 2000 के बाद विकलांग बालकों की जनसंख्या 2 करोड़ होने की संभावना व्यक्त की गई है, इसके मुकाबले विकलांग सुविधा कार्यक्रमों का दायरा सीमित है।2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांगों की जनसंख्या लगभग लगभग 2 करोड़ 68 लाख है ।

1.2.0 अध्ययन का औचित्य :–

शिक्षा प्रदान करने के साधन के रूप में पाठ्यपुस्तकों का स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें विषयवस्तु का व्यवस्थित संकलन कर विद्यार्थियों को अध्यापन कराया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए यह आवश्यक है, कि पाठ्यपुस्तकों में संकलित विषयवस्तु देश के सभी धर्मों, जातियों, वर्गों व सम्प्रदायों आदि का प्रतिनिधित्व करें। चूंकि समाज की जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय व संस्कृति आदि की विशेषताओं पर आधारित विषयवस्तु सामाजिक विज्ञान व भाषा से सम्बन्धित विषयों के अन्तर्गत समाहित की जाती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की जनसंख्या के आधार पर भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य प्रदेश में इनकी संख्या 30 प्रतिशत है, इसी आधार पर विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या भी होगी। अतः हम कह सकते हैं कि यदि शिक्षा गाँव व समाज के एक बड़े हिस्से की संस्कृति, भाषा, रहन–सहन, इतिहास के अनुरूप नहीं होगी तो इसके कारण इन वर्गों के विद्यार्थी आत्मिक एवं स्वरूचि से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इस समस्या का समाधान करने के लिये शिक्षा एवं शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में इन वर्गों का समावेश कितना है? और कितना होना चाहिए? इसका पता लगाकर इसमें सुधार करना अति आवश्यक है। यह विशेषकर कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं की हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु के अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान ये दोनों ही विषय व्यक्ति से व्यक्ति, समाज से समाज, व्यक्ति को समाज से तथा व्यक्ति को संस्कृति से जोड़ने हेतु आधार प्रदान करते हैं। इसलिये हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान से संबंधित पाठ्यपुस्तकों का पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है। जिसमें समाज के बड़े वर्ग अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम से विकास की मुख्य धारा से जुड़कर अपना, समाज एवं देश का विकास कर सकें।

इसी प्रकार विकलांग वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के सरोकारों का भी ध्यान पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में रखा जाना अतिआवश्यक है। विद्यालय में उपस्थित सामान्य विद्यार्थियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वर्ग के विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार भी विद्यालयीन पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में विषयवस्तु का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि इन विशेष वर्गों एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक गाँव तक विशेष विद्यालय नहीं खोले जा सकते हैं, इसके बजाय सामान्य विद्यालयों में ही उनके अनुरूप संसाधनों का उपयोग कर प्रत्येक गाँव के इन सभी वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

अतः भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन आवश्यक है, ताकि विदित हो सके कि– क्या वास्तव में पाठ्यपुस्तकें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व विकलांग वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है? यदि करती है तो किस सीमा तक? तथा उक्त वर्गों की

सामाजिक स्थिति के किन–किन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है? आदि जानने हेतु इस अध्ययन की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं, मूल्यों, अनुसूचित जाति, जनजाति व मूल्यांकन आदि पर कई शोध हो चुके हैं जैसे–शर्मा(1975) ने देहली में मुस्लिम समुदाय के विशेष संदर्भ में शिक्षा के अवसरों की समानता व उपयोगिता, सोलंकी(1977) ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों में जनजातियों की स्थिति पर, एहमद(1980) ने स्वतंत्रता के पश्चात जिले के पिछड़े मुस्लिम वर्ग, गैर मुस्लिम पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जातियों में सामाजिक, आर्थिक स्तर एवं शैक्षिक अवसरों में परिवर्तन पर, गुप्ता(1980) ने मुस्लिम एवं शैक्षिक अवसरों की समानताः एक अध्ययन पर, कादरी(1981) ने उत्तरप्रदेश के पीलीभीत जिले के मुस्लिम समुदाय द्वारा शैक्षिक अवसरों की पर्याप्तता एवं उपयोगिता पर, सिंह(1981) ने वाराणसी के शैक्षिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास एवं आवश्यकताओं पर, शर्मा(1985) ने प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा की पाठ्य पुस्तकों में उपयोग की गयी भाषा की व्यापकता पर, भार्गव(1988) ने राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शैक्षिक सुविधाओं पर, पिपरइया(1989) ने भाषा एवं सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की स्थिति पर, दाहिया(1990) ने अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों का इतिवृत्यात्मक अध्ययन पर, खाण्डेकर(1991) ने नागपुर में महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में शैक्षिक मूल्यों पर, वैद्य(1991) ने भौतिकशास्त्र की कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तकों में जीवन/मानवमूल्यों पर, करिअप्पा (1992) ने तमिल पाठ्यपुस्तकों में मूल्योन्मुखता पर, भरत (1994) ने सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं के दो विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में वर्णित सामाजिक पूर्वाग्रहों का पाठ्यक्रम विकास हेतु विश्लेषण व मूल्यांकन पर, सिंह (2002) ने भाषा एवं सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की स्थिति पर, एस्के (2007) ने मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा निर्धारित हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में मूल्योंन्मुखता पर, कोरी (2008) ने मध्यप्रदेश पाठय पुस्तक निगम द्वारा निर्धारित इतिहास की पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन (पूर्व माध्यमिक स्तर के संदर्भ में) पर तथा वर्मा (2012) ने मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा अनुशंसित कक्षा 9वीं की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक का शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर मूल्यांकन पर शोध कार्य किए।

इनके अतिरिक्त ठाकुर (1999) ने अल्पसंख्यकों की दुर्दशा उनकी शिक्षा पर समस्याएं और शिकायतें अल्पसंख्यक प्रतिबंधित शैक्षणिक संस्थानों की प्रकृति और प्रकार की शिकायतों पर, दास (1999) ने उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की उच्च शिक्षा के रुझानों और समस्याओं पर, अग्रवाल (2000) ने अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षिक समस्याओं पर तथा बामनिया(2022) ने उच्च शिक्षा स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रतिनिधित्व के विश्लेषणात्मक अध्ययन परशोध कार्य किए।

सम्बधित साहित्य के अध्ययनों मे गुप्ता (1980) ने पाया कि कक्षा 9 व 10 की हिन्दी, अनिवार्य संस्कृत एवं सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु कुछ धार्मिक तत्वों के कारण अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा पसंद नहीं की गयी। सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों ने साक्षात्कार में यह इच्छा प्रकट की है कि संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम उर्दू होना चाहिए जबकि सभी न्यादर्श विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी। विद्यालय में नाटक, प्रार्थना, चित्रों का उपयोग, पेटिंग्स, दीवारों पर लिखी गयी हिन्दी इबारतें, विद्यालय में आने वाले पर्यवेक्षक ये सभी बहुसंख्यक संस्कृति के पक्षपाती पाए गए। दाहिया(1990) ने अनुशंसित किया कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले अध्यायों मे सभी धर्मों के वीर–चरित्रों का चित्रण हो, किसी एक की ही व्याख्या न हो जिससे बचपन से ही बालक में सभी धर्मों के प्रति आदर–भाव उत्पन्न हो। उच्च कक्षाओं में कुछ विषय जैसे– इतिहास में किसी समुदाय के बारे में भ्रामक जानकारी एवं ऐसे तथ्य न हो और साथ ही ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे समुदायों के बीच अंतर कम हो सके। अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण से विषय भी कम हैं, अतः उनकी संस्कृति, भाषा साहित्य का ज्ञान देने वाले एच्छिक विषय होने चाहिए ताकि धर्म–निरपेक्ष दृष्टिकोण बने। 'द हिन्दू' में 7 सितम्बर 2013 को "Academics, eminent citizens dismayed over biases in textbooks" शीर्षक से प्रकाशित आलेख में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विद्वान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि, देश की पाठ्यपुस्तकें, NCF 2005 के मानदण्डों के अनुरूप नहीं है। सर्वविदित है कि राजनीतिक दल विशेष वर्ग की विचारधारा को पोषित करते हैं तथा आदिवासियों, वंचित वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करते हैं। उनमें सत्ताधारियों के पूर्वाग्रह प्रतिबिम्बित होते हैं। दलीय राजनैतिक विचारधारा से सर्वाधिक प्रभावित विषय इतिहास रहा है जिस पर प्रायः घटनाओं के साथ छेड़छाड़ तथा घटनाक्रम पर अपनी विचारधारा थोपना प्रमुख है।

उपर्युक्त सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से विदित होता है कि– भाषा, सामाजिक अध्ययन व अन्य पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की स्थिति, अल्पसंख्यकों मूल्यांकन तथा तुलनात्मक अध्ययन आदि पर सीमित शोध कार्य हो चुके हैं किन्तु "मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रकाशित माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों की स्थिति" पर वर्तमान तक कोई ठोस शोध कार्य नहीं हो पाया, अतः उक्त शीर्षक पर शोर्ध कार्य करने की आवश्यकता प्रतिपादित हुई।

1.3.0 समस्या कथन :–

प्रस्तुत अध्ययन का कथन निम्नानुसार था–

माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, व विकलांगों की स्थिति का अध्ययन

1.4.0 उद्देश्य :–

प्रस्तुत अध्ययन के निम्न उद्देश्य थें –

1. माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की रचना प्रक्रिया तथा पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के व्यक्तित्व के चित्रण का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति का आकलन करना।
4. माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों की समस्याओं के चित्रण का आकलन करना।
5. माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों की शैक्षिक स्थिति का आकलन करना।

6 सम्बन्धित वर्गों के शिक्षक तथा गैरशिक्षक प्रतिनिधियों के इन वर्गों के पाठ्यपुस्तकों के चित्रण के बारे में प्रत्यक्षण का अध्ययन करना।

1.5.0 तकनीकी शब्द की परिभाषा–

शोध में प्रयुक्त तकनीकी शब्द 'माध्यमिक स्तर की शिक्षा' को निम्न परिभाषाओं के अनुसार प्रयोग किया जाता है –

1. 'प्राथमिक शिक्षा के बाद व उच्च शिक्षा से पहले की शिक्षा।' इस अर्थ में माध्यमिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 6वीं से कक्षा 12 वीं तक की शिक्षा से है।
2. प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चात व उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा से पहले की शिक्षा' या 'उच्च प्राथमिक शिक्षा के पश्चात व उच्च शिक्षा से पहले की शिक्षा।' इस अर्थ में माध्यमिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 9वीं से कक्षा 12 वीं तक की शिक्षा से है।
3. प्रायमरी स्तर की शिक्षा के पश्चात व हाईस्कूल स्तर की शिक्षा से पहले की शिक्षा।' इस अर्थ में माध्यमिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 6वीं से कक्षा 8 वीं तक की शिक्षा से है।

   प्रस्तुत शोध माध्यमिक स्तर की शिक्षा के तीसरे अर्थ के आधार पर किया गया।

1.6.0 शोध परिसीमन–

प्रस्तुत शोध की परिसीमाएं निम्न थीं–

1. पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण हेतु मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भोपाल तथा मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा प्रकाशित कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी व सामाजिक–विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का प्राथमिक स्त्रोतों के रूप में उपयोग किया गया।
2. पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण हेतु मध्यप्रदेश में माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं में सत्र 2018–19 के दौरान पढ़ाई गई हिन्दी व सामाजिक–विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया गया।

1.7.0 न्यादर्श –

प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर की 'भाषा' व 'सामाजिक विज्ञान' की पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व विकलांग वर्ग के चित्रण की स्थिति के प्रति प्रत्यक्षण प्राप्त करने हेतु न्यादर्श के रूप संबन्धित वर्गों के शिक्षकों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं का सोद्देश्य न्यादर्श विधि से चयन किया गया। शिक्षकों के अंतर्गत मध्यप्रदेश के माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालयों में सेवारत विभिन्न वर्गों से संबन्धित शिक्षकों का चयन किया गया। अधिकारियों के अन्तर्गत शासकीय विद्यालयों में सेवारत प्रधान पाठक, प्राचार्य, बीआरसी, बीईओ, डीपीसी व डीईओ स्तर के अधिकारियों का चयन किया गया। जनप्रतिनिधियों के अन्तर्गत जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य व विधायक स्तर के जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के अन्तर्गत समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी चयन किया गया जसका वर्णन तालिका 3.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.0 वर्गवार शिक्षक, अधिकारी, जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता

क्र.	न्यादर्श	वर्ग				कुल योग
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्पसंख्यक	विकलांग	
1.	शिक्षक	38	42	32	37	149
2.	अधिकारी	24	18	09	03	54
3.	जन प्रतिनिधि	18	15	11	00	44
4.	सामाजिक कार्यकर्ता	16	09	10	06	41
कुल		96	84	62	46	288

1.8.0 शोध उपकरण एवं विकास

प्रस्तुत शोध में प्रदत्त संकलन हेतु स्वनिर्मित 'माध्यमिक स्तर की भाषा व सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों व विकलांग वर्गों की स्थिति का चित्रणः संबधित वर्गों के शिक्षक, अधिकारी, जन प्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता हेतु संरचित साक्षात्कार

अनुसूची' का उपयोग किया गया। साक्षात्कार अनुसूची में चयनित वर्गों से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे पाठ्यपुस्तकों में इन वर्गों के समुदाय की स्थिति का चित्रण, संस्कृति का चित्रण, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों का चित्रण, समाज की आकांक्षाओं; चुनौतियों व ज्वलंत समस्याओं का चित्रण, पाठ्यपुस्तकों के समावेशी प्रतिबिंब आदि पर आधारित कुल छः प्रश्न शामिल किए गए थे।

'साक्षात्कार अनुसूची' के प्रथम प्रारूप में शोधार्थी द्वारा पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों व विकलांग वर्गों की स्थिति का चित्रण पर आधारित नौ प्रश्न शामिल किए गए थे। प्रथम प्रारूप पर शोध निर्देशक से चर्चा व उनसे प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर द्वितीय प्रारूप तैयार किया गया जिसमें कुल छः प्रश्न शामिल किए गए थे। इसके पश्चात 'साक्षात्कार अनुसूची' के द्वितीय प्रारूप के मुख्य बिन्दुओं पर चार विषय विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए गए। विषय विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के आधार पर 'साक्षात्कार अनुसूची' का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया।

1.9.0 प्रदत्त–संकलन विधि

प्रस्तुत शोध में प्रदत्त संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा सर्वप्रथम शोध हेतु चयनित मध्यप्रदेश में माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं में सत्र 2018-19 के दौरान पढ़ाई गई मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भोपाल तथा मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा प्रकाशित हिन्दी व सामाजिक–विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का गहन अध्ययन किया गया। तत्पश्चात क्रमशः पाठ्यपुस्तकों की रचना प्रक्रिया में चयनित वर्गों के प्रतिनिधित्व, पाठ्यपुस्तकों में चयनित वर्गों पर आधारित पाठों व इन पाठों में चयनित वर्गों व्यक्तित्व, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, समस्याओं व शैक्षिक स्थिति के चित्रण का विश्लेषण किया गया।

हिन्दी व सामाजिक–विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व विकलांग वर्ग के चित्रण की स्थिति के प्रति प्रत्यक्षण प्राप्त करने हेतु संबन्धित वर्गों के शिक्षकों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं से संपर्क कर उन्हें अपने शोध के उद्देश्य से अवगत कराया गया। उन्हें 'माध्यमिक स्तर की भाषा व सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों व विकलांग वर्गों की स्थिति का चित्रणः संबधित वर्गों के शिक्षक, अधिकारी, जन प्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता हेतु संरचित साक्षात्कार अनुसूची' प्रेषित की गई व साक्षात्कार हेतु समय लिया गया। तत्पश्चात कुछ साक्षात्कार दाताओं से उनकी उपलब्धता और सुविधा के अनुसार निर्धारित समय पर गूगल मीट के माध्यम से तथा कुछ साक्षात्कार दाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से साक्षात्कार लेकर प्रदत्त संकलित किए गए।

1.10.0 प्रदत्त–विश्लेषणः उद्देश्यानुसार प्रदत्त–विश्लेषण के लिए निम्नलिखित सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया –

1. माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की रचना प्रक्रिया तथा पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के प्रतिनिधित्व से संबन्धित आकड़ों के विश्लेषणके लिए आवृत्ति व प्रतिशत का उपयोग किया गया।
2. माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के व्यक्तित्व के चित्रण के अध्ययन के लिए विषयवस्तु विश्लेषण का उपयोग किया गया।
3. माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति के आकलन के लिए विषयवस्तु विश्लेषण का उपयोग किया गया।
4. माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों की समस्याओं के चित्रण के आकलन के लिए विषयवस्तु विश्लेषण का उपयोग किया गया।
5. माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों की शैक्षिक स्थिति के आकलन के लिए विषयवस्तु विश्लेषण का उपयोग किया गया।
6. सम्बन्धित वर्गों के शिक्षक तथा गैरशिक्षक प्रतिनिधियों के इन वर्गों के पाठ्यपुस्तकों के चित्रण के बारे में प्रत्यक्षण के अध्ययन के लिए विषयवस्तु विश्लेषण तथा संदर्भित विवरण का उपयोग किया गया।

1.11.0 अध्ययन के निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से प्राप्त निष्कर्षों को नीचे उद्देश्यवार प्रस्तुत किया गया है –

शोध का प्रथम उद्देश्य था –"माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की रचना प्रक्रिया तथा पाठ्यसामग्री में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना।"

प्रथम उद्देश्य के निष्कर्ष निम्न हैं–

- कक्षा 6वीं , 7वीं व 8वीं की हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वर्ग के रचनाकारों के वर्गवार प्रतिनिधित्व को समग्रता से अवलोकन करने पर पाया गया कि तीनों कक्षाओं में हिन्दी विषयों में कुल 59 रचनाकारों द्वारा हिन्दी की रचनाएँ लिखी गयी है। इनमें अनुसूचित जाति वर्ग के रचनाकार का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है, वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के रचनाकारों का प्रतिनिधित्व भी शून्य पाया गया। अल्पसंख्यक वर्ग के रचनाकारों में प्रतिनिधित्व कम पाया गया। इसी प्रकार विकलांग वर्ग में रचनाकारों का

प्रतिनिधित्व भी कम पाया गया। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के रचनाकारों का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक पाया गया।

- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वर्ग के पात्रों के वर्गवार प्रतिनिधित्व को समग्रता से अवलोकन करने पर पाया गया कि तीनों कक्षाओं में हिन्दी विषयों की पाठ्यपुस्तकों में कुल 242 पात्रों का चित्रण किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है, वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व भी अत्यल्प पाया गया । अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व भी बहुत कम पाया गया। इसी प्रकार विकलांग वर्ग में पात्रों का प्रतिनिधित्व भी कम पाया गया। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक पाया गया।
- कक्षा 6वीं , 7वीं व 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वर्ग के रचनाकारों के वर्गवार प्रतिनिधित्व को समग्रता से अवलोकन करने पर पाया गया, कि तीनों कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान विषय में कुल 101 रचनाकारों द्वारा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की रचना प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के रचनाकार का प्रतिनिधित्व शून्य है। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के रचनाकारों का प्रतिनिधित्व भी अत्यल्प पाया गया। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के रचनाकारों तथा विकलांग वर्ग के रचनाकारों का प्रतिनिधित्व भी लगभग शून्य पाया गया। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के रचनाकारों का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक पाया गया।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वर्ग के पात्रों के वर्गवार प्रतिनिधित्व को समग्रता से अवलोकन करने पर पाया गया कि तीनों कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कुल 413 पात्रों का चित्रण किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है। इसी प्रकार विकलांग वर्ग में पात्रों का प्रतिनिधित्व भी शून्य पाया गया। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व भी न के बराबर पाया गया। अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व भी बहुत अधिक पाया गया। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रों का प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों की तुलना में थोड़ा कम पाया गया।

शोध का द्वितीय उद्देश्य था –"माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के व्यक्तित्व के चित्रण का अध्ययन करना।"

द्वितीय उद्देश्य के निष्कर्ष निम्न हैं–

- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं में से कक्षा 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तक में ही अनुसूचित जनजाति के एक ही मुख्य पात्र 'कवि रैदास' का चित्रण देखने को मिलता है तथा ईश्वर भक्त, वैरागी व ज्ञानी के रूप में उनके व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन किया गया है।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जनजाति के अत्यंत कम, केवल दो मुख्य पात्रों 'नरबदी' व' बिरसा मुंडा' का ही चित्रण देखने को मिलता है। जहां उनके व्यक्तित्व के बलिदानी, सेवाभावी, मानवतावादी, जनसहयोगी, देशभक्त व आन्दोलनकारी गुणों का वर्णन किया गया है।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों के अंतर्गत लुकमान, डॉ. होमी जहांगीर भाभा, डॉ. अब्दुल कलाम, अल्फ्रेड नोबल, अकबर, हुमायूँ, हेलेन केलर, मैरी वर्गीज व सालिम अली के व्यक्तित्व के गुणों का चित्रण देखने को मिलता है। चित्रण से स्पष्ट है कि हिन्दी की पाठयपुस्तकों में अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों के व्यक्तित्व के विनम्र, बुद्धिमान, शान्तिप्रिय, रचनात्मक, सेवाभावी, धर्मनिरपेक्ष, कर्तव्य–परायण, धैर्यवान व प्रेरणादायी गुणों का वर्णन किया गया है।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में विकलांग वर्ग के पात्रों के अंतर्गत डॉ. चन्द्रा, हेलेन केलर व नेत्रहीन वृद्धा के व्यक्तित्व के गुणों का चित्रण देखने को मिलता है। चित्रण से स्पष्ट है कि हिन्दी की पाठयपुस्तकों में विकलांग वर्ग के पात्रों के व्यक्तित्व के साहसी व आशावादी गुणों का वर्णन किया गया है।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के पाठों में अनुसूचित जाति वर्ग का एक–दो स्थानों पर वर्ग विशेष के रूप में बहुत थोड़ा वर्णन व नाम से केवल दो मुख्य पात्रों 'डॉ. भीमराव आंबेडकर' व 'रैदास' का ही चित्रण देखने को मिलता है। चित्रण में उनके व्यक्तित्व के परिश्रमी, अछूत, शोषित, निर्बल, शिक्षित, लोकतान्त्रिक, समाज सुधारक, ईश्वरभक्त, राष्ट्रप्रेमी गुणों का वर्णन किया गया है।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के पाठों में अनुसूचित जनजाति वर्ग का कुछ ही स्थानों पर वर्ग विशेष के रूप में बहुत कम वर्णन देखने को मिलता है। केवल दो मुख्य पात्रों 'रानी दुर्गावती' व 'राजा तीरथसिंह' का ही उनके नामों से चित्रण देखने को मिलता है। पाठ्यपुस्तकों के पाठों में अनुसूचित जनजाति वर्ग व्यक्तित्व चित्रण में उनके व्यक्तित्व के मजदूर, परिश्रमी, पिछड़े, शोषित, निर्बल, विद्रोही, क्रांतिकारी व शासक गुणों का वर्णन किया गया है।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अल्पसंख्यक वर्ग का चित्रण पूर्ण रूप से ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। पाठ्यपुस्तकों में इन पात्रों का अधिकांश चित्रण धर्मसंस्थापकों, धर्मप्रचारकों, शासकों व क्रांतिकारियों के रूप में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों के व्यक्तित्व गुणों के अंतर्गत इन पात्रों में कुछ सकारात्मक व कुछ नकारात्मक व्यक्तित्व गुण

पाये गए। सकारात्मक गुणों के अंतर्गत– धुमक्कड़, अध्ययन प्रेमी, जिज्ञासु, ईश्वरवादी, धर्म संस्थापक, दयालु, ज्ञानी, त्यागी, अहिंसक, बलिदानी, कला–साहित्य प्रेमी, ईश्वरवादी, लोककल्याणकारी, सृजनात्मक, संगठनकर्ता व नेतृत्वकर्ता के गुण पाये गए वहीं नकारात्मक गुणों के अंतर्गत– असफल प्रशासक, अतिमहत्वाकांक्षी, साम्राज्यवादी, कट्टरधर्मी, आक्रमणकारी, लूटेरा व क्रूरता के गुण पाये गए।

- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में विकलांग वर्ग पर आधारित पाठों की कमी है केवल कक्षा 6वीं के पाठ 'नगरीय संस्थाएं' के अंतर्गत विकलांग वर्ग का अत्यंत संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है। किन्तु इस वर्णन से विकलांग वर्ग के व्यक्तित्व का चित्रण उल्लेख नहीं मिलता। अतः स्पष्ट है कि कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में विकलांग वर्ग के व्यक्तित्व के चित्रण का अभाव पाया गया।

शोध का तृतीय उद्देश्य था–"माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति का आकलन करना। "

तृतीय उद्देश्य से संबन्धित निष्कर्ष निम्न हैं–

- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व न के बराबर है और केवल एक ही पात्र/रचनाकार चित्रण किया गया है। चित्रण में पात्र की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का स्पष्ट चित्रण नहीं किया गया।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व न के बराबर है और इनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति निम्न है। साथ ही बिरसा मुंडा के प्रयासों से उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार का वर्णन है, किन्तु आर्थिक स्थिति निम्न स्तर की ही दर्शाई गई है।
- हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में लगभग सभी अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों की सामाजिक स्थिति उच्च स्तर की है। एक पात्र को छोड़ दिया जाए तो सभी अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों की आर्थिक स्थिति मध्यम व उच्च स्तर की है।
- हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में विकलांग वर्ग के पात्रों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का चित्रण पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है।
- सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति वर्ग की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का चित्रण पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है। इन पाठ्यपुस्तकों में अपवाद स्वरूप एक दो उदाहरणों को छोड़कर पूरे अनुसूचित जाति वर्ग की सामाजिक–आर्थिक स्थिति अतिनिम्न स्तर की दर्शाई गयी है।

- सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जनजाति वर्ग की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इन पाठ्यपुस्तकों में अपवाद स्वरूप एक दो उदाहरणों को छोड़कर पूरे अनुसूचित जनजाति वर्ग की सामाजिक–आर्थिक स्थिति अतिनिम्न स्तर की दर्शाई गयी है।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों का धर्मसंस्थापकों, धर्मप्रचारकों, शासकों, क्रांतिकारियों के साथ शिक्षक व साहित्यकार के रूप में चित्रण मिलता है पाठ्यपुस्तकों में अल्पसंख्यक वर्ग के पात्रों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को उच्च स्तर की दर्शाई गई है।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में विकलांग वर्ग पर आधारित पाठों की कमी है तथा जो पाठ है इनमें विकलांग वर्ग की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का किसी भी प्रकार का कोई चित्रण नहीं पाया गया।

शोध का चतुर्थ उद्देश्य था–"माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों की समस्याओं के चित्रण का आकलन करना।"

चतुर्थ उद्देश्य के निष्कर्ष निम्न हैं–

- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति के पात्रों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है और पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं का चित्रण बिलकुल भी नहीं किया गया है।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी विषय की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जनजाति वर्ग की समस्याओं के अंतर्गत निम्न सामाजिक, निम्न आर्थिक व निम्न शैक्षिक स्तर व सामान्य जीवन जीने हेतु अनिवार्य सुविधाओं का अभाव, इनके शोषण व इन पर अत्याचार संबंधी समस्याएँ पाई गई।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकांश पात्रों से संबन्धित किसी प्रकार की समस्याओं का वर्णन नहीं पाया गया। हालांकि कुछ पात्रों की समस्याओं अंतर्गत निम्न सामाजिक, निम्न आर्थिक व निम्न शैक्षिक स्तर संबंधी समस्याएँ पाई गई, किन्तु पाठ्यपुस्तकों में इन समस्याओं के चित्रण संबंधी प्रसंग बहुत ही कम पाये गए।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में विकलांग वर्ग की समस्याओं के अंतर्गत निम्न सामाजिक, निम्न आर्थिक व निम्न शैक्षिक स्तर व शारीरिक अपंगता संबंधी समस्याएँ पाई गई। किन्तु पाठ्यपुस्तकों में इन समस्याओं का चित्रण संबंधी प्रसंग बहुत ही कम पाये गए।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं का पर्याप्त उल्लेख नहीं है। अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं के अंतर्गत निम्न

सामाजिक, निम्न आर्थिक व निम्न शैक्षिक स्तर व सामान्य जीवन जीने हेतु अनिवार्य सुविधाओं का अभाव, जातिप्रथा और छुआछूत की समस्याओं वर्णन मिलता है।

- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं के अंतर्गत भारी विरोध, राज्य की असुरक्षा व अविश्वास, अयोग्य उत्तराधिकारी, बाहरी आक्रमणों, पारिवारिक षडयंत्र व ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र कराना संबंधी समस्याएँ पाई गई।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में विकलांग वर्ग की समस्याओं का पर्याप्त चित्रण नहीं किया गया है।

शोध का पाँचवाँ उद्देश्य था–"माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों की शैक्षिक स्थिति का आकलन करना।"

पाँचवें उद्देश्य से संबन्धित निष्कर्ष निम्न हैं–

- हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में वर्णित पात्रों के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग की शैक्षिक स्थिति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।
- हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जनजाति के पात्रों पर आधारित पाठों की संख्या न के बराबर है और इनमें उनकी शैक्षिक स्थिति को अतिनिम्न स्तर की दर्शाई गयी है।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में अल्पसंख्यक वर्ग की शैक्षिक स्थिति एक ओर अतिनिम्न व दूसरी ओर उच्च, दोनों ही स्तर की दर्शाई गयी है।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में विकलांग वर्ग की शैक्षिक स्थिति कहीं अतिनिम्न व कहीं उच्च, दोनों ही स्तर की दर्शाई गयी है।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति वर्ग का पर्याप्त उल्लेख नहीं है। अधिकांश पाठों में अनुसूचित जाति वर्ग की शैक्षिक स्थिति का चित्रण नहीं किया गया है। पाठों की विषयवस्तु में डॉ. भीमराव आंबेडकर को छोड़कर शेष अनुसूचित जाति वर्ग की शैक्षिक स्थिति निम्न स्तर की दर्शाई गयी है।
- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जनजाति वर्ग की शैक्षिक स्थिति को निम्न स्तर का दर्शाया गया है। साथ ही उनके उत्थान के लिए शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी वर्णन मिलता है।
- अल्पसंख्यक वर्ग के धर्मसंस्थापकं, प्रचारक शासक, क्रांतिकारी पात्रों में से धर्मसंस्थापकों व प्रचारकों की शैक्षिक स्थिति, उच्च स्तर की दर्शाई गयी है। केवल कुछ शासकों व कुछ

क्रांतिकारियों के शैक्षिक प्रयासों को प्रभावी प्रयासों के रूप में दर्शाया गया है। पाठों में चित्रित पात्रों, रचनाकार व शिक्षक को अच्छे शिक्षित व्यक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है।

- कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में विकलांग वर्ग पर आधारित पाठों की कमी है तथा जो पाठ है। इनमें विकलांग वर्ग की शैक्षिक स्थिति का किसी भी प्रकार का कोई चित्रण नहीं पाया गया।

शोध का छठवाँ उद्देश्य था–"सम्बन्धित वर्गों के शिक्षक तथा गैरशिक्षक प्रतिनिधियों के इन वर्गों के पाठ्यपुस्तकों के चित्रण के बारे में प्रत्यक्षण का अध्ययन करना।"

छठवें उद्देश्य के निष्कर्ष निम्न हैं–

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधियों के प्रत्यक्षण से संबन्धित निष्कर्ष

- लगभग सभी जनप्रतिनिधियों का मानना हैं, कि कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी व सामाजिक–विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में उनके समुदाय की स्थिति का वास्तविक चित्रण नही किया गया है तथा इससे वे संतुष्ट नहीं हैं।
- लगभग सभी जनप्रतिनिधियों का मानना हैं, कि वे पाठयपुस्तकों की विषयवस्तु में रीति–रिवाज, रहन–सहन, विरासत, महापुरुषों की जीवनगाथा व भाषा के चित्रण से पूर्णतः संतुष्ट नही हैं, क्योंकि पाठयपुस्तक में इनके वर्ग के प्रसंगों का समावेश नही किया गया है।
- लगभग सभी जननेताओं का मानना हैं, कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जनप्रतिनिधियों की सोच, मानसिकता, कुशलताओं कार्य व अध्ययन के क्षेत्र में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन यह परिवर्तन पाठयपुस्तकों में नहीं झलकते हैं।
- लगभग सभी जनप्रतिनिधि का मानते हैं, कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जनप्रतिनिधियों की सोच, मानसिकता, कुशलताओं कार्य व अध्ययन के क्षेत्र में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन यह परिवर्तन पाठयपुस्तकों में नहीं झलकते हैं।
- अधिकांश प्रतिनिधियों का मानना है, कि पाठयपुस्तकें इस प्रकार हो कि सभी वर्गों के महत्वपूर्ण प्रसंगों को उनमें उचित रूप से जगह मिले। लेकिन प्रचलित पाठयपुस्तकों में यह विशेषताएँ नहीं दिखाई देती है।

- लगभग सभी जनप्रतिनिधि का मानना है, कि सभी वर्गों के शैक्षिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यवसायिक, आर्थिक, सामाजिक आधारों पर वास्तविक चित्रण के रूप में पाठयपुस्तकों में परिवर्तन होना चाहिए।

अनुसूचित जनजाति वर्ग क प्रतिनिधियों के प्रत्यक्षण से संबन्धित निष्कर्ष

- लगभग सभी जनप्रतिनिधि का मानना है कि वर्तमान समय मे ंपाठ्यपुस्तकों में जनजाति वर्ग की स्थिति के चित्रण हमारे वर्ग की स्थिति से मेल नही खाते हैं। इस समुदाय की स्थिति का चित्रण उनके सामाजिक व सांस्कृतिक पक्षों के अनुसार नहीं प्रस्तुत किया गया। पाठ्यपुस्तकों मे ंअनुसुचित जनजाति वर्ग की स्थिति के चित्रण से वे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि विषयवस्तु में इस वर्ग के वास्तविक चित्रण का अभाव पाया गया।
- कई का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों में उनके वर्ग के रीति–रिवाज, परंपरा, संस्कृति, रहन–सहन, भाषा, विरासत, महापुरुषों की जीवन–गाथाओं आदि के आधार पर प्रतीत होता है कि, उनके वर्ग के संदर्भ में पाठ्यपुस्तकों की प्रकृति समावेशी नहीं है। कहीं–कहीं इस वर्ग के कुछेक प्रतिनिधियों का चित्रण देखने को मिलता है किन्तु वह भी अपर्याप्त ही लगता है।
- अधिकांश प्रतिनिधियों का ऐसा कहना था कि जनजाति वर्ग के प्रतिनिधियों के द्वारा किये गये कार्यों, योगदानों व उपलब्धियों आदि को पाठ्यपुस्तकों में स्थान नही दिया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके वर्ग के प्रतिनिधियों की विचारधारा, मानसिकता, कुशलताओं, कार्य व अध्ययन के क्षेत्र में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन पाठ्यपुस्तकों में यह परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहे हैं।
- लगभग सभी का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों में उनके वर्ग की आकांक्षाओं, ज्वलंत समस्याओं व आहत करने वाली घटनाओं से संबंधित प्रसंगों को किसी भी जनजाति वर्ग के पाठों में/ विषयवस्तु में नही दर्शाया गया है। समुदाय अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है तथा आज भी गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, बेरोजगारी, नशा, कुपोषण, व मुल्य आधारित गुणों का अभाव जैसी ज्वलंत समस्याएँ व चुनौतियाँ हैं। लेकिन पाठ्यपुस्तकों में इस संदर्भ में कोई भी अभिप्रेरणात्मक प्रसंग शामिल नही किया गया है।
- अधिकांश प्रतिनिधियों ने कहा, कि पाठ्यपुस्तके ऐसी होनी चाहिए कि उनमें समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व दिखाई दें। प्रचलित पाठ्यपुस्तकों में सभी वर्गों के साथ–साथ अनुसुचित जनजाति वर्ग का प्रतिबिंब भी उचित रूप से नहीं झलकता है। जनजाति वर्ग से संबंधित जानकारियाँ प्रचलित पाठ्यपुस्तकों में नगण्य पायी गयी। अतः पाठ्यपुस्तकों को सम्पूर्ण

वर्गों के नेतृत्व करने वाली विशेषता न होने के कारण इस वर्ग के प्रतिनिधियों ने पाठ्यवस्तु के प्रति असंतुष्टि प्रकट की है ।

- अधिकतर प्रतिनिधियों का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, व्यवसायिक स्थिति, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थिति को सुदृढ बन सके। परिणामस्वरूप प्रतिनिधियों ने असंतुष्टि प्रकट की है।

अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों के प्रत्यक्षण से संबन्धित निष्कर्ष

- अधिकांश प्रतिनिधियों का मानना है कि पाठयपुस्तकों में अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति का चित्रण सामान्य तौर पर ही किया गया है। अधिकतर जानकारियॉ अल्पसंख्यक वर्ग के इतिहास से ली गयी है जो उनका स्वर्णकाल था। इन प्रसंगों के चित्रण से हम कुछ हद तक संतुष्ट हैं। किन्तु पाठयपुस्तकों में अल्पसंख्यक समुदाय की वास्तविक स्थिति के चित्रण का अभाव है, अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति उतनी अच्छी नही है जितनी अच्छी पाठयपुस्तकों में प्रदर्शित की गयी है। अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है।
- अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकांश प्रतिनिधियों का मानना है कि पाठयपुस्तकों की प्रकृति समावेशी होना चाहिए और इन पाठयपुस्तकों में यह समावेशन देखा गया है। पाठयपुस्तकों में अल्पसंख्यक वर्ग की संस्कृति (रिति रिवाज, रहन–सहन, विरासत, महापुरुषों की जीवनगाथा व भाषा) व अन्य पहलुओं की जानकारी के अन्तर्गत त्यौहार, जन्मोत्सव, कला, परम्पराएँ, महापुरुषों की जीवनी व उनके द्वारा किए गए महान कार्य, रहन–सहन रिति–रिवाज भाषा व आपसी संबंधों आदि का वर्णन मिलता है इसलिये वे संतुष्ट है। जबकि कुछ प्रतिनिधियों का मानना यह भी है कि विषयवस्तु में उनकी संस्कृति का चित्रण तो मिलता है किन्तु वह वर्तमान संदर्भों में समावेशन के लिए अपर्याप्त है, इसलिए वे इस चित्रण से संतुष्ट नहीं हैं।
- लगभग सभी अल्पसंख्यक वर्ग का मानना है कि वर्तमान समय के प्रतिनिधियों के विचारों, कुशलताओं व समाजहित में किये गये कार्यों को स्थान नही दिया गया है; केवल इतिहास को ही स्थान दिया गया है। इस वर्ग के लेखक व साहित्यकारों को कुछ हद तक स्थान दिया है। अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों की सोच, कुशलताएँ निरन्तर वैश्विक स्तर पर स्थापित हो रही हैं। उनके द्वारा किये जाने वाले योगदानों को पाठयपुस्तकों में उतना स्थान नहीं दिया जा रहा है, जितना कि अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों को दिया जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, सामाजिक, राजनीति आदि प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं इन सभी का वर्तमान पाठ्यपुस्तकों में कहीं न कहीं उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए जिससे कि इस वर्ग के विद्यार्थियों को प्रेरणा मिल सके ।

- अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग सभी जनप्रतिनिधियों का मानना है कि उनके वर्ग की ज्वलंत समस्याओं को पाठयपुस्तकों में उचित तरिके से स्थान नही दिया गया है। केवल अल्पसंख्यक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले महापुरुषों की जीवनगाथाओं को प्रदर्शित किया गया है, ज्वलंत समस्याओं को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग की ज्वलंत समस्याएँ जैसे उनके रहन–सहन, उनके रोजगार तथा उनकी शिक्षा की समस्याओं पर कोई भी प्रेरक प्रसंग पाठयपुस्तक में नही पाया गया है ।
- अधिकांश प्रतिनिधियों का मानना है कि पाठ्यपुस्तके सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करें। इसके लिए आवश्यक है कि इन पाठ्यपुस्तकों में सभी वर्गों के सशक्त व कमजोर सभी पहलुओं का चित्रण सही रूप में किया जाए तथा इनसे जुड़े प्रसंगों को पाठ्यपुस्तकों में अनिवार्य रूप से स्थान प्रदान किया जाए। ये सभी प्रसंग विद्यार्थियों को शांति व भाईचारे के लिए प्रेरित करें, उनमें मूल्यों का विकास करने में सहायक हो, जिससे वे भविष्य में एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके। वर्तमान की पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार की विषयवस्तु का अभाव दिखाई देता हैं, पाठ्यपुस्तकों में कहीं–कहीं ये विषयवस्तु दिखाई भी देती है तो व्यावहारिकता के अभाव के कारण वह इस उदेश्य की प्राप्ति में असफल रह जाती है।
- लगभग सभी का मानना है कि पाठयपुस्तकों में सभी वर्ग के विद्यार्थियो के भविष्य को तैयार करने, एक अच्छा नागरिक बनाने इत्यादि से संबन्धित प्रसंगों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पाठयपुस्तकों में ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जो उनकी वर्तमान समस्याओं के समाधान के साथ–साथ भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सके।

विकलांग वर्ग के प्रतिनिधियों के प्रत्यक्षण से संबन्धित निष्कर्ष

- दिव्यांग समुदाय अधिकांश प्रतिनिधियों का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तुओं में दिव्यांग समुदाय की स्थिति का चित्रण बहुत ही प्रभावी एवं आत्मविश्वासी रूप से प्रस्तुत किया गया है तथा वे वर्तमान की पाठयपुस्तकों में दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधित्व से संतुष्ट हैं।
- लगभग सभी प्रतिनिधियों का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों की प्रकृति समावेशी होनी चाहिए। दिव्यांग वर्ग से सम्बधित कोई संस्कृति नही होती है, किन्तु दिव्यांग वर्ग के विभिन्न प्रकारों, उनकी जरूरतों, समाज में उनके प्रति आम दृष्टिकोण आदि पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत किया जा सकता था, किन्तु इनसे संबन्धित कोई भी प्रसंग पाठ्यपुस्तकों में शामिल नहीं किया गया है। जिससे पाठ्यपुस्तकों की प्रकृति पूर्ण रूप से समावेशी प्रतीत नहीं होती है, इसलिये वे कुछ सीमा तक ही संतुष्ट हैं।

- लगभग सभी का मानना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों को पाठ्यपुस्तकों में जगह नही दी गयी है। वर्तमान समय में दिव्यांग वर्ग के जनप्रतिनिधियों द्वारा समाजहित में किये गये कार्य/कुशलताओं/ उपलब्धियों,/विचारों को पाठ्यपुस्तकों में स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है, अतः उन्हें स्थान मिलना ही चाहिए। पाठ्यपुस्तकों में दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों व उनके कार्यों को उचित अवसर ही नही दिया जाता जिससे उनके कार्य व योगदान पाठ्यपुस्तकों में नही झलकते हैं।
- लगभग सभी प्रतिनिधियों का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में दिव्यांग वर्ग से जुड़ी ज्वलन्त समस्याओं व आहत करने वाले प्रसंगों का पाठ्यपुस्तकों में समावेशित नही किया गया है।
- अधिकतर प्रतिनिधियों का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में सभी वर्गों का समावेश होना चाहिए, ताकि उन वर्गों का पाठ्यपुस्तकों में उचित प्रतिबिंब बन सके। प्रचलित पाठ्यपुस्तको में सभी वर्गों का प्रतिबिम्ब उनके राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, रक्षा, स्वास्थ्य, कला अथवा अन्य विशेष कार्यों के योगदानों का समावेश होना चाहिए। पाठ्यपुस्तकं प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों के जीवन कौशल जीवन स्तर के सुधार करने योग्य होनी चाहिए।
- लगभग सभी का मानना है कि पाठ्यपुस्तकों में सभी वर्गो की स्थिति का आकलन कर दिव्यांग वर्ग के प्रसंगों को महत्वपूर्ण रूप से जगह देना चाहिए, जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों के भावी जीवन के लिए पाठयपुस्तके अधिक उपयोगी हो सके।

1.12.0 शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध प्रबंध में "माध्यमिक स्तर पर भाषा एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों व विकलांगों की स्थिति का अध्ययन" शीर्षक पर किया गया शोध कार्य तार्किक एंव क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध के निष्कर्षों से यह विदित होता है, कि माध्यमिक स्तर कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी व सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व विकलांग वर्गों का प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम पाया गया है। हालांकि पाठ्यपुस्तकों में अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व पाया गया है, किन्तु इस वर्ग के अधिकांश जनप्रतिनिधि पाठ्यपुस्तकों में अल्पसंख्यक वर्ग के इस प्रतिनिधित्व से संतुष्ट नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए वर्तमान शोध प्रबन्ध का महत्वपूर्ण उपयोग है। प्रस्तुत शोध का उपयोग कर पाठ्यक्रम निर्धारक समूह, पाठ्यक्रम निर्माण समिति, लेखक, वर्ग के साहित्य/संस्कृति विकास के प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय संस्थाएं (मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र व मध्यप्रदेश

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद), आदि मार्गदर्शन ले सकते हैं। उपरोक्त के लिए शोध के शैक्षिक निहितार्थ निम्न हैं–

शैक्षिक प्रशासक/ नीतिकार – शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारकों से यह अपेक्षा की जा सकती है, कि माध्यमिक स्तर कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी व सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व विकलांग वर्गों से सम्बन्धित विषयवस्तु का पुनर्निर्धारण व पुनर्गठन किया जाए, जिसमें इनके शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक व अन्य क्षेत्रों से संबन्धित वर्तमान वास्तविक स्थिति व समस्याओं से संबन्धित विषयवस्तु को स्थान दिया जाए। इन विषयों की पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु के निर्धारण व पुनर्गठन की प्रक्रिया में इन वर्गों से संबन्धित विद्वानों तथा विभिन्न आयोगों व संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए व पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु में उनके वर्ग के प्रतिनिधित्व पर उनके विचारों को महत्व दिया जाए। निष्कर्षों से पाया कि लेखन कार्य में भी इन वर्गों का प्रतिनिधित्व कम है, लेखन प्रक्रिया में भी इन वर्गों के प्रतिनिधियों को उचित स्थान प्रदान करने में यह शोध सहायक होगा। अतः इन पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यक्रम निर्धारकों की अगामी योजना हेतु यह शोध उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सकेगा।

पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता – प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष, पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के लिए माध्यमिक स्तर की कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी व सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व विकलांग वर्गों के विद्यार्थियों की जनसंख्या जो अधिकतर शासकीय विद्यालयों में ही अध्ययन करती है। इन पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित विषयवस्तु में इन वर्गों की शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक व अन्य क्षेत्रों से संबन्धित वर्तमान वास्तविक स्थिति व समस्याओं से संबन्धित प्रकरणों का समावेश कर इन वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। जिससे इन वर्गों के विद्यार्थियों का शाला व कक्षा से ड्रापआऊट कम हो सके। अतः माध्यमिक स्तर की कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी व सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं द्वारा इन वर्गों से सम्बन्धित विषयवस्तु को उचित स्थान प्रदान करने में प्रस्तुत शोध सहायक होगा।

पाठ्यपुस्तक लेखन – प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष, माध्यमिक स्तर की कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी व सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के लेखकों के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा प्रदान कर सकता है। लेखकगण पाठ्यपुस्तक के पाठों की विषयवस्तु में इन वर्गों के महत्वपूर्ण पक्षों जैसे–उनके शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक व अन्य क्षेत्रों से संबन्धित वर्तमान स्थिति पर आधारित प्रसंगों को सम्मिलित कर सकते हैं जिसमें इन वर्गों के पात्रों के व्यक्तित्व, विचार, प्रेरक प्रसंगों, समाज व देशहित के कार्यों, समस्याओं व उनके समाधानों, भविष्य के अवसरों आदि का प्रभावी चित्रण हो।

जिससे पाठ्यपुस्तके विद्यार्थियों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक, धार्मिक, सौंदर्यात्मक, राष्ट्रीय व वैश्विक मूल्यों के विकास में और अधिक योगदान दे सके।

पाठ्यपुस्तक मूल्यांकनकर्ता/समिति – प्रस्तुत शोध निष्कर्ष पाठ्यपुस्तक मूल्यांकनकर्ताओं के लिए भी उपयोगी है। माध्यमिक स्तर पर हिन्दी व सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें विषयवस्तु के माध्यम से, विद्यार्थियों को समाज की संरचना, समाज की विभिन्न परिस्थितियाँ, समाज में व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति के सामाजिक व राष्ट्रीय उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक विरासत, रीति–रिवाजों, परम्पराओं, कला, साहित्य, समाज की वर्तमान स्थिति, समाज व राष्ट्र की समस्याएँ, ज्वलंत मुद्दे आदि का ज्ञान प्रदान करती है। जो विद्यार्थियों के सामाजिक व संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चूंकि शोध के निष्कर्षों से विदित होता है कि हिन्दी व सामाजिक विज्ञान की वर्तमान पाठ्यपुस्तकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व विकलांग वर्गों के सबंध में इनमें से कई बिन्दुओं का समावेश नहीं किया गया है। प्रस्तुत शोध निष्कर्ष पाठ्यपुस्तक मूल्यांकंकर्ताओं को इन बिन्दुओं के आधार पर पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

1.13.0 भविष्य मे शोध हेतु सुझाव

''प्रस्तुत शोध के आधार पर भविष्य मे शोध हेतु सुझाव निम्नांकित हैं–

1. प्रस्तुत शोध मे माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का चयन किया गया। इसी प्रकार कक्षा 9वीं व 10वीं की हिन्दी व सामाजिक विज्ञान/अध्ययन विषय की पाठ्यपुस्तकों पर भी शोध कार्य किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध मे माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों का चयन किया गया। इसी प्रकार कक्षा 9वीं व 10वीं की भाषा व साहित्य की जानकारी वाले विषय जैसे अंग्रेजी व संस्कृत पर भी शोध कार्य किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध कार्य मे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व विकलांग वर्ग पर किया गया इसी प्रकार अन्य वर्गों जैसे पिछड़ा, भाषाई अल्पसंख्यक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि पर भी शोध कार्य किया जा सकता है।
4. प्रस्तुत शोध माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की कक्षा 6वीं, 7वीं व 8वीं की हिन्दी व सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों पर किया गया। इसी प्रकार के शोध भविष्य में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की विभिन्न कक्षाओं की हिन्दी व सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों पर भी शोध कार्य किया जा सकता है।

5. प्रस्तुत शोध कार्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व विकंलाग वर्ग के व्यक्तित्व, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति व समस्याओं पर किया गया। इसी प्रकार इसी वर्ग के राजनैतिक, व्यवसायिक व अन्य आधारों पर भी शोध कार्य किया जा सकता है।